



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES,
RAIPUR



फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

सं

CHG/SRG/BX-12/RPR Mine Code: 07CHG16009

दिनांक 07/04/2022

प्रेषित:

प्रबंध संचालक

सर्वश्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

Sector-24,Block No-07-A

3rd floor,Nava Raipur, Atal Nagar ,

Chhattisgarh- 492015

Email: cmdcraipur@gmail.com

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के Surguja जिले में स्थित आपकी Narmadapur Bauxite Mine, M/S CMDC Ltd क्षेत्रफल 47.812 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 10.02-2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा Shri A.P Saha, Dy. General Manager cum Regional officer की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	RMP along with PMCP was approved vide letter no. Surguja/BX/MP-1264/2020-RAIPUR Dated, 01/12/2020 for a period of 31/03/2021to 31/03/2022. The deviation observed in mining operation vis-a-vis approved document are given below 1) As per approved Mining Plan, 58 boreholes were proposed to be drilled till the year 2020-21, only 12 number of boreholes have been drilled. 2) Proposal was not given for four Mineral stacked and 5 dumps in the Block 1 & Block 2.
Rule- 45 (5) (c)	Following deficiencies were observed in the Annual Returns submitted: 1) Lease area (surface area) utilisation as at the end of year (hectares) mentioned NIL. 2) Total ROM Ore production (tonnes) wrongly furnished. Total quantity of Overburden/Waste removed during the year (tonnes) not given. 3) Overburden & Quantity of back filled Area not given 4) Production and Stocks of ROM ore at Mine-head (Bauxite) mentioned NIL.Where as other place production mentioned in same annual return. 5)Cost of Production mentioned Nil whereas Ex-Mine price is Rs 960.00

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :-

- क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप में Annual Return में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/- रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।
- (ख) खदान की सारी खनन संक्रियाएं बन्द की जा सकती हैं,
- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, एवं
- (घ) खनन पट्टे को निरस्त किया जा सकता है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 11(1) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. अतः आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(c) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

Arun Kumar
Regional Controller of Mines
Indian Bureau of Mines, Raipur

प्रति: By Email

1. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. उप महा निदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं खनिज सांख्यिकी प्रभाग, पाँचवा तल, डी ब्लॉक, इन्दिरा भवन, सिविल लाइंस, नागपुर, महाराष्ट्र 440 001

Regional Controller of Mines
Indian Bureau of Mines, Raipur